न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

प्रार्थना पत्र संख्या 166/2019

खुश हाऊसिंग फाईनेंस प्राईवेट लिमिटेड,
पंजीकृत कार्यालय–810 आरा बिप्लेक्स एस बी रोड बोरीवली पश्चिम 400092
शाखा कार्यालयः– एफ 1 पहला मंजिल 405, आजाद नगर कोटडा, अजमेर (राज0) जरिये
प्राधिकृत अधिकारी ....**प्रार्थी/सिक्योर क्रेडिटर**

बनाम

(1) सलीम खां पुत्र श्री मनवर खा जाति मुसलमान निवासी ग्राम पंचायत उटडा पंचायत समिति श्रीनगर जिला–अजमेर।

(2) ताशिदा पत्नी सलीम खां जाति मुसलमान निवासी ग्राम पंचायत उटडा पंचायत समिति श्रीनगर जिला–अजमेर। ....**अप्रार्थीगण/ऋणी**

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 14 दी सिक्यूराईटेशन रिक्सट्क्शन
आफ फाईनेनिशयल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ
सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थित :– श्री विरेन्द्र सिंह राठौड अभिभाषक प्रार्थी

आदेश **दिनांक 21.10.2019**

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी कम्पनी ने अप्रार्थीगण सलीम खा पुत्र श्री मनवर खा एवं ताशिदा पत्नि सलीम खा जाति मुसलमान निवासी ग्राम पंचायत उटडा पंचायत समिति श्रीनगर जिला अजमेर को दिनांक 28.02.2018 को रू 4,50,000/–(अक्षरे चार लाख पचास हजार रूपये मात्र) की ऋण सुविधा स्वीकृत की थी। इस हेतु अप्रार्थीगण ऋणी ने आवश्यक दस्तावेजात निष्पादित कर ग्राम उटडा, ग्राम पंचायत उटडा, पंचायत समिति श्रीनगर जिला अजमेर (राज.) में स्थित अचल सम्पति भूमि एवं भवन जिसका अप्रार्थी संख्या 01 सलीम खां के नाम से संकल्प नं0 02 के तहत दिनांक 11.7.2017 को पट्टा जारी किया गया है, को बतौर जमानत प्रार्थी कम्पनी के पास बन्धक रखा था। अप्रार्थीगण नियमित रूप से प्रार्थी कम्पनी को उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके और बकाया ऋण के भुगतान में व्यतिक्रम व चूक कर दी और दिनांक 10.01.2019 को डिफाल्टर हो गये। प्रार्थी कम्पनी द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक 26.04.2019 को रजिस्टर्ड मांग नोटिस रूपये 4,73,689/–(अक्षरे रूपये चार लाख तेहतर हजार छह सौ नवासी मात्र) का जारी किया गया। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का सम्पूर्ण कब्जा भी प्रार्थी कम्पनी को नहीं सम्भलाया है। प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पति का कब्जा प्रार्थी कम्पनी को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अधिकृत प्रतिनिधि प्रार्थी प्रस्तुत किया गया।

अधिकृत प्रतिनिधि प्रार्थी को सुना गया। अधिकृत प्रतिनिधि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि अप्रार्थीगण ने उसके खाते में देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत नोटिस प्राप्त करने के बावजूद भी प्रार्थी कम्पनी को जमा नहीं कराया है।

जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

Scanned by CamScanner

उक्त अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत कम्पनी के पक्ष में उक्त रहन रखी सम्पति का अधिनियम के प्रावधान अनुसार कब्जा प्रार्थी कम्पनी को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी कम्पनी द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत नोटिस जारी करने के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगण द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी कम्पनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण ऋणी की ओर से प्रार्थी कम्पनी के पक्ष में बंधक सम्पति, ग्राम उटडा, ग्राम पंचायत उटडा, पंचायत समिति श्रीनगर जिला अजमेर (राज.) में स्थित अचल सम्पति भूमि एवं भवन जिसका अप्रार्थी संख्या 01 सलीम खां के नाम से संकल्प नं0 02 के तहत दिनांक 11.7.2017 को पट्टा जारी किया गया है, का भौतिक कब्जा प्रार्थी कम्पनी द्वारा जरिये संबधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबंधित कम्पनी द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी कम्पनी, पुलिस अधीक्षक, अजमेर को हस्ब कायदा जारी हो।

आदेश आज दिनांक 21.10.2019 को सुनाया गया।

जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

(विश्व मोहन शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwa Mohan Sharma
Date: 2019.11.13 16:14:02 IST
Reason: SelfAttested
Location: